

संख्या: गृह (सतर्कता)ए (3)-8/2016 लोकायुक्त नियम, तारीख शिमला-2, 20/10/2016

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त (सेवा की शर्तों) नियम, 2016 है ।
(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
2. **परिभाषाएं** .-(1) इन नियमों में, 'अधिनियम' से हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 23) अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों के प्रयोजनार्थ "कुटुम्ब" शब्द का वही अर्थ होगा जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 में उसका है ।

3. **छुट्टी** .- लोकायुक्त, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यथा लागू उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1954 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार छुट्टी के लिए इस उपान्तरण के अधधीन हकदार होगा कि लोकायुक्त सेवाकाल के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक मास की दर से पूर्ण भत्तों पर और सेवाकाल की शेष अवधि के लिए अनुपाततः छुट्टी का हकदार होगा ।
4. **छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी** .- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, लोकायुक्त का अवकाश, स्वीकृत या अस्वीकृत करने या स्वीकृत किए गए अवकाश को प्रतिसंहत और कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।
5. **भविष्य निधि** .- लोकायुक्त समय समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सीविल सेवा) नियम, 1960 और तदधीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार सामान्य भविष्य निधि में अभिदान करने का हकदार होगा ।
6. **यात्रा भत्ता** .- कर्तब्यरूढ लोकायुक्त, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर की गई यात्रा में उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए यात्रा भत्ता प्राप्त करेगा और उसे यात्रा से सम्बन्धित ऐसी समूचित प्रसुविधाएँ प्रदान की जाएगी जैसी समय समय पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 में विहित की जाए :

परन्तु लोकायुक्त के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपनी नियुक्ति पर प्रथमतः पदग्रहण पर अपने सामान्य निवास स्थान से शिमला तक और अपने कार्यालय के पूर्ण होने पर स्वनगर तक की वापसी यात्रा वायुमार्ग, रेलमार्ग या मोटरयान द्वारा स्वयं और अपने कुटुम्ब की यात्रा पर उपगत वास्तविक व्यय को यात्रा भत्ते के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा । इसके अतिरिक्त वह सामान एक पूरी बैगन तक के परिवहन तक उपगत वास्तविक खर्च का भी हकदार होगा :

परन्तु यह और कि लोकायुक्त की पद पर नियुक्ति के दौरान मृत्यु हो जाने की दशा में उसके कुटुम्ब के सदस्य, मुख्यालय से उसके स्वनगर तक यदि यात्रा लोकायुक्त की मृत्यु से छः मास के भीतर की जाती है, कुटुम्ब की यात्रा और पुरी वैगन तक के उनके सामान के परिवहन पर उपगत वास्तविक खर्च के हकदार होंगे ।

स्पष्टीकरण:- इन नियमों के प्रयोजन के लिए "पूरी वैगन" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता नियम, 1956 के नियम, 1 ए में उनके हैं ।

7. **चिकित्सा उपचार के लिए प्रसुविधाएं** :- लोकायुक्त और उसके कुटुम्ब के सदस्य सरकारी अस्पतालों में ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं और वास सुविधा के लिए हकदार होंगे जैसी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके कुटुम्ब के सदस्यों को अनुज्ञेय हैं ।
8. **निवास स्थान के लिए प्रसुविधा** :- लोकायुक्त उन्ही निबन्धों और शर्तों पर निवास स्थान के लिए हकदार होगा जैसी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लागू हैं ।
9. **सेवा की अन्य शर्तें** :- लोकायुक्त की सेवा की अन्य शर्तें, जिनके लिए इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं है, वैसी ही होंगी जैसी हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लागू हैं ।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(गृह/सतर्कता),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन सं०: यथोपरि

दिनांक

20/10/2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि० प्र० सरकार, शिमला-2
2. उप विधि परामर्शदाता एवं उप सचिव विधि (विधि निर्माण) हि० प्र० सरकार, शिमला -2
3. सचिव, लोकायुक्ता, हिमाचल प्रदेश शिमला-2 को उनके पत्र सं० लोका-1(ए)3-1/2015 दिनांक 05-04-2016 के संदर्भ में ।
4. सचिव, हि० प्र० विधान सभा, शिमला-4
5. समस्त विभागध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलायुक्त, हिमाचल प्रदेश ।
7. प्रमुख महालेखाकार (लेखा परीक्षा) हि० प्र० शिमला-3
8. नियन्त्रक, हि० प्र० मूद्रण एवं लेखन सामाग्री विभाग शिमला-5 को इस आशय के साथ की इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने की कृपा करें ।

का/5

विशेष सचिव (गृह/सतर्कता)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(Authoritative English text of this Department notification No. Home (Vig.) A (3)-8/2016-Lokayukta Rules dated October, 2016 as required vide clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

**Government of Himachal Pradesh
Home (Vigilance) Department**

No. Home(Vig.)A(3)-8/2016-Lokayukta Rules, Dated: Shimla-2 2016 | 2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No, 23 of 2015), the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Lokayukta, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Lokayukta (Conditions of Service) Rules, 2016.
(2) These rules shall come into force at once.
2. **Definitions.**- (1) In these rules, 'Act' means the Himachal Pradesh Lokayukta Act, 2014 (Act No.23 of 2015)
(2) For the purpose of these rules, the word "family" shall have the same meaning as assigned to it in the 'High Court Judges' Travelling Allowance Rules, 1956.
3. **Leave.** - The Lokayukta shall be entitled to leave in accordance with the provisions of the 'High Court Judges' (Conditions of Service) Act, 1954 and the rules made thereunder and as applicable to the Chief Justice of High Court subject to the modification that the Lokayukta shall be entitled to leave on full allowances at the rate of one month for each completed year of service and proportionately for the remaining period of service.
4. **Authority competent to grant leave.**- The Governor of Himachal Pradesh shall be the authority competent to grant or refuse leave to the Lokayukta or to revoke or curtail leave granted.

5. **Provident Fund.**- The Lokayukta shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund in accordance with the **General Provident Fund (Central Civil Services) Rules 1960**, as amended from time to time and orders issued thereunder.
6. **Travelling allowance.**- The Lokayukta shall receive such travelling allowance to reimburse him for expenses incurred in travelling on duty within the territory of India and shall be afforded such reasonable facilities in connection with travelling as may, from time to time, be prescribed in the **High Court Judges' Travelling Allowance Rules, 1956**:

Provided that a person appointed as Lokayukta shall be entitled to receive as travelling allowance, the actual expenditure incurred on the journey for self and his family from the place of his ordinary residence to Shimla on first joining his appointment and for the journey back to his home town on completion of his tenure, by air, rail or motor vehicle. Further, he shall be entitled to actual expenditure incurred for the transportation of luggage upto a full wagon:

Provided further that in the event of the death of Lokayukta while in office, the members of his family shall be entitled to the actual expenditure incurred on the journey of the family and for the transportation of their luggage upto a full wagon from the headquarters to the home town of the Lokayukta, in case, the journey is performed within six months of the death of the Lokayukta.

Explanation:- For the purpose of these rules, the words "full wagon" shall have the same meaning as assigned to it in rule 1 A of the **High Court Judges' Travelling Allowance Rules, 1956.**

- 7. **Facilities for medical treatment.-** The Lokayukta and his family members shall be entitled to such facilities for medical treatment and accommodation in the Government hospitals as are admissible to the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh and his family members.
- 8. **Facility for residential accommodation.-** The Lokayukta shall be entitled for residential accommodation on the same terms and conditions as are applicable to the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh.
- 9. **Other conditions of service.-** The other conditions of service of the Lokayukta for which no express provisions have been made in these rules, shall be the same as are applicable to the Chief Justice of the High Court of Himachal Pradesh.

By order

Principal Secretary (Home/Vigilance) to the Government of Himachal Pradesh

No. Home(Vig.)A(3)-8/2016 Lokayukta Rules Dated: 20/10 Shimla-2,

Copy forwarded for information and necessary action to:-

- 1) All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.
- 2) DLR-cum-Deputy Secretary, Law (Legislation) to the govt. of H.P. Shimla-2.
- 3) Secretary, (Lokayukta) Himachal Pradesh-2. w.r.t. his letter No. Loka- 1 (A)3-1/2015 dated 05.04.2016.
- 4) Secretary, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla.
- 5) All Heads of the Departments in Himachal Pradesh.
- 6) All Divisional Commissioners/ Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
- 7) The Principal Accountant General (Audit) Himachal Pradesh Shimla-3.
- 8) Controller, H.P. Printing and Stationery Department, Shimla-5 for publication in Official Gazette.

Special Secretary (Home/Vigilance) to the Government of Himachal Pradesh.